JEEViKA
An Initiative of Government of Bihar for Poverty Alleviation
Bihar Rural Livelihoods Promotion Society
State Rural Livelihoods Mission, Bihar
बिहार सरकार
1st Floor, Vidyut Bhawan-II Bailey Road, Patna - 800 021; Ph. : +91-612-250 4980; Fax : +91-612-250 4960, e-mail : info@brlp.in, Website : www.brlp.in

पत्रांक : BRLPS/Proj-MI/457/13/4474 दिनांक : 07.02.2018

# कार्यालय आदेश

**(सामुदायिक संगठनों के स्तर पर जीवन बीमा के सुरक्षा चक्र को समूह के सदस्यों तक पहुँचाने की कार्यनीति)**

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के द्वारा राज्य स्तर पर ग्रामीण रोजगार के संसाधन बढ़ाने हेतु सामुदायिक संगठनों (स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संगठन आदि) का निर्माण किया गया है | साथ ही सभी स्तर के सामुदायिक संगठनों का क्षमता वर्धन कर उन्हें विभिन्न तरह के रोजगार के आयामों से जोड़ने की रणनीति पर कार्य किया जाता है | रोजगार के संसाधनों को बढ़ाने हेतु परियोजना एवं विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से पूंजी उपलब्ध करवायी जाती है | **ऐसी परिस्थिति में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि परिवार की निरंतर खुशहाली के लिए हर तरह के जोखिम को क्रमशः कम किया जाए** | विगत कुछ वर्षों में जीविका परियोजना के द्वारा महिलाओं को निरंतर बीमा के सुरक्षा चक्र से जोड़ा गया है | इसका प्रभाव समुदाय के मानस पटल पर अच्छा पड़ा है क्योंकि विपत्ति की घड़ी में बीमा सहायक सिद्ध हो रही है | **अब महिलाएँ धीरे–धीरे बीमा के महत्व को समझते हुए इसके दायरे को विस्तृत करने हेतु निरंतर आगे बढ़ रही हैं** |

वित्तीय वर्ष 2016-17 में लगभग **9 लाख महिलाएं** प्रीमियम की राशि एकत्रित करके बीमा के सुरक्षा चक्र के दायरे में आ गई थीं| यह कार्य **"आम आदमी बीमा योजना (AABY)"** के तहत की जा रही थी। 25 जुलाई 2017 के तत्काल प्रभाव से "आम आदमी बीमा योजना" को बंद कर दिया गया था एवं इसके बदले नयी योजना का क्रियान्वयन होना था। **सरकार के द्वारा नई योजना की घोषणा की जा चुकी है।** नई योजना के अंतर्गत अब समूह से जुड़ी महिलाओं को आधी प्रीमियम राशि पर **"प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना** (PMJJBY)" एवं **"प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना** (PMSBY)" के तहत निर्धारित सभी सुविधाएँ प्राप्त होगी | अतः यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि सम्बंधित योजना की मुख्य बातों को समूह के सदस्यों तक निम्नलिखित रूप से स्पष्ट समझाया जाए :-

क. अब स्वयं सहायता समूह के ऐसे सदस्यों का ही **जीवन बीमा उपर्युक्त योजना** के अंतर्गत किया जा सकता है जिनकी उम्र **18 वर्ष से 50 वर्ष** के बीच है।

ख. साधारणतया उपर्युक्त योजना के अंतर्गत कुल मिलाकर प्रीमियम की राशि 342/- रुपये (तीन सौ बयालीस रुपये) है। 330/- रुपये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) हेतु तथा 12/- रुपये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) हेतु निर्धारित है। **स्वयं सहायता समूह के सदस्यों हेतु यह प्रीमियम राशि 171/- रुपये तय की गयी है।** इसका मतलब यह हुआ कि आधी प्रीमियम राशि (171/-रुपये ) का अंशदान सदस्यों द्वारा किया जाएगा तथा आधी प्रीमियम राशि (171/-रुपये) का अंशदान सरकार द्वारा किया जाएगा।

ग. उपर्युक्त योजना के अंतर्गत स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत बीमित व्यक्ति के नौमिनी (Nominee) अर्थात् नामित व्यक्ति को **दो लाख रुपये** देय होगा। दुर्घटना से मृत्यु होने पर बीमित व्यक्ति के नौमिनी (Nominee) को **चार लाख रुपये** देय होगा।

घ. इस बात का ध्यान रखना जरुरी है कि **किसी व्यक्ति की मृत्यु में कोई साजिश या रंजिश होने की स्थिति में बीमा की राशि देय नहीं है।** साथ ही **आत्महत्या के मामले में भी राशि देय नहीं होगी।**

ङ. दुर्घटना से हुई मृत्यु के सन्दर्भ में यह स्पष्ट करना उचित है कि संबंधित बीमित व्यक्ति का post-mortem रिपोर्ट परिवार द्वारा उपलब्ध करवाना जरुरी होगा। साथ ही FIR अर्थात् प्राथमिकी की रिपोर्ट (पुलिस में दायर की गई FIR-First Information Report) एवं मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य है |

च. उपर्युक्त प्रस्तावित योजना के अंतर्गत यह समझना अति महत्वपूर्ण है कि बीमा हेतु प्रीमियम राशि प्राप्त होने के उपरांत भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के द्वारा सभी व्यक्तियों का आकलन किया जाता है एवं उसके उपरांत सदस्यों के बीमित होने की सूचना परियोजना को दी जाती है | संबंधित व्यक्ति के बीमित होने की सूचना जीविका परियोजना की राज्य इकाई के द्वारा तुरंत सभी प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों को दी जाती है | **कोई भी समूह की सदस्या बीमित तभी मानी जाएगी जब भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC-Life Insurance Corporation of India) के द्वारा प्रीमियम राशि प्राप्ति के पश्चात निर्धारित प्रावधानों के आधार पर बीमित होने की सूचना दे दी गयी है। सिर्फ प्रीमियम की राशि जमा कर देने से कोई भी सदस्य बीमा के दायरे में नहीं आ जाता है। प्रीमियम की राशि जमा करने के उपरांत भी कुछ सदस्यों को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा बीमा के सुरक्षाचक्र से बाहर रखा जा सकता है।** इसका स्पष्टीकरण सदस्यों तक देना अनिवार्य है। **बीमित न होने की परिस्थिति में समूह सदस्य का पैसा संबंधित संकुल संघ/ नोडल ग्राम संगठन द्वारा वापस कर दिया जाएगा।**

छ. नयी निर्धारित "प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना - (PMJJBY)" एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना-(PMSBY)" के अंतर्गत एक नयी बात का प्रावधान किया गया है और **यह सबसे विशेष बात है** |नयी "निर्धारित योजना" के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है की **बीमित होने के 45 दिनों के अन्दर मृत्यु होने पर किसी भी तरह की राशि का भुगतान नहीं होगा।** उदाहरण स्वरूप अब कोई व्यक्ति अगर 1 जनवरी 2018 को बीमित होता है तो अगले 45 दिनों में (भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा बीमित होने की **आधिकारिक सूचना के उपरांत ना कि प्रीमियम राशि देने के उपरांत) स्वाभाविक मृत्यु** होने पर कोई भी रकम देय नहीं होगा | अर्थात् संबंधित व्यक्ति की मृत्यु अगर 15 फरवरी 2018 के पहले होती है तो कोई भी रकम देय नहीं होगी |

ज. नयी उपर्युक्त निर्धारित योजना में बीमा के उपरांत 45 दिन का Lien Period रखा गया है | **भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) द्वारा बीमित किये जाने की सूचना की तिथि से 45 दिनों के अन्दर स्वाभाविक मृत्यु होने की स्थिति में बीमा की रकम देय नहीं होगी।** इस मामले के व्यावहारिक सन्दर्भ को समझना एवं विभिन्न

सामुदायिक संगठनों (समूह, ग्राम संगठन, संकुल संघ)के स्तर पर स्पष्टता के साथ समझाना अतिमहत्वपूर्ण है। **इसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रखंड परियोजना प्रबंधक एवं प्रखंड स्तर पर कार्य कर रहे सभी परियोजना कर्मियों की होगी** |

झ. यह स्पष्ट किया जाता है कि बीमित व्यक्ति (**भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा आधिकारिक सूचना के उपरांत ना कि प्रीमियम राशि देने के उपरांत**) की मृत्यु अगर दुर्घटना के कारण 45 दिनों के अंदर होती है **तो 2 लाख रूपये (दो लाख रूपये)** की राशि बीमा के प्रावधानों के आधार पर बीमित व्यक्ति के Nominee (नौमिनी) अर्थात् नामित व्यक्ति को देय होगा। साथ ही **पूर्ण अपंगता की स्थिति में 2 लाख रूपये (दो लाख रूपये)** तथा **आंशिक अपंगता** की स्थिति में **1 लाख रूपये ( एक लाख रूपये)** देय होगा।

ञ. जिला परियोजना प्रबंधक एवं प्रखंड परियोजना प्रबंधक को यह निदेशित है कि सभी परियोजना कर्मियों एवं सामुदायिक साधन सेवियों (Community Mobilizers, Book Keeper, Master Book Keeper, Bank Mitra, FI-CRPs एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों) को नयी **"निर्धारित बीमा योजना"** के बारे में प्रशिक्षण दिलवाना सुनिश्चित करेंगें |

ट. उपर्युक्त योजना में बीमित होने के लिए **आधार संख्या, बचत खाता संख्या एवं मोबाइल संख्या अनिवार्य है** | यह निदेशित है कि समूह सदस्यों की विवरणी तैयार करते समय आधार कार्ड में अंकित जानकारियाँ ही मान्य माने जाएँगे एवं उसकी सही प्रविष्टि करवाना सुनिश्चित किया जाएगा |

ठ. तैयार की गई विवरणी को कम्प्युटर के "Excel Sheet" में प्रविष्टि करने हेतु Data Entry Operator/Additional Hand की सेवा ली जानी निदेशित है | **Insurance Data की ससमय Entry प्रखंड इकाई के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता का आधार होगा क्योंकि इसमें समुदाय का हित दूसरे हितधारियों(Stake holders) पर भी निर्भर है**।

ड. **बीमा अवधि प्रत्येक वर्ष के 1 जून से अगले वर्ष के 31 मई तक मान्य है** |

ढ. वर्त्तमान में संबंधित उम्र के व्यक्तियों को बीमा प्रदान करने हेतु **70 रुपये की बीमा प्रीमियम** राशि देय है | इस राशि में 31 मई 2018 तक संबंधित व्यक्ति बीमित हो सकता है | संबंधित व्यक्ति बीमित तभी माना जाएगा जब बीमा प्रीमियम राशि प्राप्ति के उपरांत भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के द्वारा आधिकारिक सूचना जीविका परियोजना को दे दी जाय|

ण. यह विदित है कि "**निर्धारित बीमा योजना**" की वार्षिक शुरुआत (प्रत्येक साल की 1 जून की तारीख) में होगी और वर्त्तमान समय में लगभग 3–4 महीने का अन्तराल है | **यह उचित होगा कि वर्त्तमान में भी इच्छुक सदस्यों का बीमा करवाया जाए एवं सभी सदस्यों तक "नयी बीमा योजना" की जानकारी साझा की जाए** | यह भी उचित होगा कि वर्त्तमान में किये गये कार्य के दौरान ही आने वाले समय में बीमा करने हेतु प्रीमियम की राशि इच्छुक सदस्यों से एकत्रित कर ली जाए। **भविष्य हेतु जमा की गई राशि को अपने पास रखते हुए शेष राशि प्रखंड इकाई द्वारा निधारित नोडल संकुल संघ / नोडल ग्राम संगठन के माध्यम से पूर्व की भांति भारतीय**

**जीवन बीमा निगम को भेज दी जाए**| इस रणनीति का फायदा न सिर्फ इस वर्ष मिलेगा अपितु आने वाले वर्ष में भी जब "नयी निर्धारित योजना" के अंतर्गत बीमा मान्य है (अर्थात् 1 जून 2018 से) में भी सहायक सिद्ध होगी |**इससे एकरूपता बनी रहेगी एवं जीविका परियोजना ससमय समूह के सदस्यों को बीमा के सुरक्षा चक्र के दायरे में ला पाएगी** |

त. यह उचित होगा कि सदस्यों को नियमों के बारे में बताते हुए उनसे एकमुश्त 250 रुपये की राशि (70+180=250/- रुपये) ली जाए ताकि सदस्यों को 31 मई 2018 तक की बीमा तथा 1 जून 2018 से 31 मई 2019 तक की भी बीमा (भारतीय जीवन बीमा द्वारा बीमित होने की तिथि की सूचना के उपरांत) ससमय सुनिश्चित की जा सके | सदस्यों द्वारा जमा की गई अगले वर्ष हेतु राशि (180 रुपये) नोडल ग्राम संगठन संस्था में रहेगी एवं मई 2018 में उसे भारतीय जीवन बीमा निगम में हस्तानांतरित कर दिया जायेगा| **9 रु का कोष सदस्यों द्वारा संकुल संघ/ नोडल ग्राम संगठन में रखा जाएगा क्योंकि सदस्यों द्वारा LIC को देय राशि 171 रुपये ही है**|

थ. संबंधित सामुदायिक संगठनों की सहमति के उपरांत यह उचित होगा अगर बीमा हेतु एकमुश्त राशि (70 + 180 = 250/- रुपये) सदस्यों के माध्यम से एकत्रित की जाए | आने वाले वर्ष हेतु 171/- रुपये की प्रीमियम राशि नोडल संगठन के खाते में रहेगी एवं शेष राशि 70/- रुपये को भारतीय जीवन बीमा निगम के खाते में पहले की तरह जमा कर दी जाएगी | उचित समय पर अगले वर्ष हेतु एकत्रित की गई प्रीमियम की राशि को संबंधित संकुल संघ/ नोडल ग्राम संगठन द्वारा ससमय भारतीय जीवन बीमा निगम में जमा कर दिया जाएगा |

द. यह निदेशित है कि इस कार्यालय आदेश की एक प्रति **सभी परियोजनाकर्मियों, सभी Community Mobilizers एवं सभी ग्राम संगठन / संकुल संघ** में उपलब्ध करवायी जाएगी | सभी संबंधित व्यक्तियों / संगठन के द्वारा प्राप्त कार्यालय आदेश की प्रति का विवरण **"Insurance File" बना कर रखा जाएगा** | इसमें की गयी कोताही अनुशासंनात्मक कार्यवाही का कारण बन सकती है | **इस हेतु सभी प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों को 2,000/- रुपये तक की राशि संबंधित आदेश की प्रति उपलब्ध करवाने हेतु उपयोग में लाने का निदेश दिया जाता है** | इसका समायोजन निधारित बजट के अलावा होगा | इसका उपयोग प्रखंड स्तर/ जिला स्तर के माध्यम से किया जा सकता है|

ध. यह स्पष्ट करना उचित होगा कि कोई भी सदस्य केवल एक जगह से ही "निर्धारित योजना" का लाभ ले सकते हैं| अर्थात् अगर कोई सदस्य समूह के माध्यम से "प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)" से जुड़े हैं तो वो बैंक के माध्यम से अपना बीमा अनावश्यक रूप से न करवाएँ क्योंकि किसी अप्रिय घटना की स्थिति **में लाभ किसी एक ही बीमा का होगा** | **ऐसा प्रावधान सरकार के द्वारा पूर्व से निर्धारित है** |

न. इस बात हेतु सदस्यों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे अपने परिवार के अन्य सदस्यों का भी बीमा बैंक के माध्यम से करवाएँ ताकि विपत्ति की घड़ी में उन्हें एवं उनके परिवार को जीवन बीमा के "सुरक्षा चक्र" का लाभ मिल सके |

न. सभी प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों को निदेशित है कि निम्नलिखित जानकारी जिला स्तर पर जिला परियोजना प्रबंधक एवं राज्य स्तर पर राज्य परियोजना प्रबंधक (सूक्ष्म बीमा) को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें ताकि सामुदायिक संगठनों द्वारा जमा की गयी राशि का सही मिलान भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के साथ की जा सके:

| क्र. सं. | नोडल ग्राम संगठन / संकुल संघ का नाम | संबंधित अध्यक्ष / कोषाध्यक्ष/ सचिव का नाम | मोबाइल न. | संबंधित संगठन द्वारा अगर NEFT किया गया है तो उसका UTR संख्या (unique Transaction Reference no.) / डिमान्ड ड्राफ्ट संख्या | संबंधित संगठन द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रेषित की गई राशि (NEFT/DD के माध्यम से) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1.<br>2.<br>3. | | | |

उपर्युक्त वर्णित सन्दर्भ में सदस्यों के स्तर पर जीवन बीमा के महत्व एवं उसे क्रियान्वयन करने की रणनीति पर जोर दिया गया है | सभी जिला परियोजना प्रबन्धकों एवं प्रखंड परियोजना प्रबन्धकों को यह निदेशित हैं कि सदस्यों को बीमा के सुरक्षा चक्र में लाने हेतु **प्राथमिकता के तौर पर कार्य को क्रियान्वयित किया जाए** |

विश्वासभाजन

बालामुरुगन डी.

प्रतिः-

1. समस्त परियोजनाकर्मी
2. समस्त संकुल संघ / समस्त ग्राम संगठन / सामुदायिक साधन सेवी (Community Mobilizer, Book Keeper, Master Book Keeper, Bima Mitra & Bank Mitra).

Ref No: -

Date: -

सेवा में,

..... संकुल संघ/ नोडल ग्राम संगठन / ग्राम संगठन

..... प्रखंड, ..... जिला

विषय: - "आम आदमी बीमा योजना (AABY)" के बदले में प्रायोजित नई "निर्धारित योजना : प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)" के बारे में विशेष जानकारी हेतु सन्दर्भ एवं इस जानकारी को संबंधित सामुदायिक संगठन के द्वारा संचालित अन्य सामुदायिक संगठनों के साथ चर्चा हेतु |

महोदया,

विदित है कि सामुदायिक संगठनों (स्वयं सहायता समूह , ग्राम संगठन, संकुल संघ आदि) के माध्यम से सदस्यों की सहमति के उपरांत विगत कुछ वर्षों में "आम आदमी बीमा योजना" का क्रियान्वयन सुचारु रूप से संचालित हो रहा था | पारिवारिक स्तर पर विपत्ति की घड़ी में बीमा के सुरक्षा चक्र का बड़ा अमूल्य योगदान था | यही कारण था कि इस क्षेत्र में कार्य की प्रगति निरंतर बढ़ रही थी एवं **पिछले वित्तीय वर्ष में (अप्रैल 2016 में मार्च 2017 के बीच) लगभग 9 लाख महिलाओं के द्वारा अपने आप को बीमित करवाया गया था**| इस वर्ष 25 जुलाई 2017 के उपरांत "आम आदमी बीमा योजना" को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया था | वर्त्तमान में सरकार के द्वारा "आम आदमी बीमा योजना" के बदले नयी योजना लायी गयी है जिसे "प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना" के नाम से जाना जाता है | **इस योजना के अंतर्गत प्रीमियम राशि (342/- रुपये) है, जिसमे आधा अंशदान (171 रूपये) सरकार द्वारा किया जाता है तथा आधा अंशदान (171 रूपये) समूह के सदस्यों द्वारा किया जाता है** | यह प्रस्तावित है कि वर्ष 2018-19 से सदस्य बीमा प्रीमियम के रूप मे **180 रूपये** का योगदान करें ताकि **171 रूपये** LIC को देने के उपरांत **9 रूपये का कोष** संबंधित संकुल संघ/ नोडल ग्राम संगठन के स्तर पर भविष्य हेतु स्थापित किया जा सके। यह सुविधा विशेष रूप से समूह के सदस्यों हेतु है | अत: यह जरुरी है कि इस नई "निर्धारित योजना" की **विशेष बातें** विस्तृत रूप से सदस्यों के सहज सन्दर्भ हेतु रखी जाए |

इसी बात को ध्यान में रखते हुए नई योजना से संबंधित कार्यालय आदेश संख्या BRLPS/Proj-MI/457/13/4474 दिनांक 07.02.2018 को आपके सहज सन्दर्भ के लिए संलग्न किया जा रहा है | अनुरोध है कि कार्यालय आदेश के अंतर्गत संप्रेषित विषय की चर्चा अपने द्वारा संचालित अन्य सामुदायिक संगठनों तक सुनिश्चित करें | **नयी योजना की विस्तृत जानकारी सभी सदस्यों तक पहुँचानी जरुरी है क्योंकि इसमें व्यापक बदलाव किये गए है और सभी सदस्यों को सही जानकारी अत्यंत जरुरी है** |

प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए "निर्धारित नयी योजना" की जानकारी आपके निर्णय हेतु उपलब्ध करवा रही है |

विश्वासभाजन

संलग्न:-

कार्यालय आदेश संख्या BRLPS/Proj-MI/457/13/4474 दिनांक 07.02.2018

की प्रति

प्रखंड परियोजना प्रबंधक

.....प्रखंड

प्रति:-

1. सभी ग्राम संगठन/ सभी संकुल संघ
2. सभी सामुदायिक साधन सेवी (CM, Book Keeper, Master Book Keeper, Bima Mitra etc.)

PC-F-I